कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

श्री किशोर पाण्डेय,
पिता स्व0 नाथो पाण्डेय,
ग्राम– गुमो, झु0 ति0,
जिला–कोडरमा।

विविध वाद सं0 14 / 2016–17

01/8/16 आवेदक श्री किशोर पाण्डेय, पिता स्व0 नाथो पाण्डेय, ग्राम गुमो, झु0 ति0, जिला कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 235, रकवा 6.63 एकड भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 87/4 में टीपन पाण्डेय पिता चोहन पाण्डेय के नाम से दर्ज है। वर्ष 2010–11 तक लगान रसीद कटा हुआ है। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 24.8.16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी, 01/08/16
कोडरमा ।

24.8.16
30.9.16 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में उपस्थित आवेदक एवं अन्य हिस्सेदार द्वारा बताया गया कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 235, रकवा 13.26 ए0 भूमि खतियान में बकास्त दर्ज है। जिसमें लगान पाने वाले का नाम आवेदक के दादा चोहन पाण्डेय दर्ज था। उक्त भूमि बंटवारानामा के अनुसार 06.63 ए0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 87/4 पर टीपन पाण्डेय पिता चोहन पाण्डेय के नाम से जमाबन्दी दर्ज था। संलग्न कागजातों अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12 के चालु पंजी ।। के पृष्ठ सं0 87/4 पर खाता नं0 235, रकवा 06.63 ए0 भूमि टीपन पाण्डेय के नाम से जमाबन्दी दर्ज था। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षो पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आवेदक के द्वारा बंटवारानामा, तेरिज खातियान, शपथ पत्र सं0 11 दिनांक 25.04.16 तथा लगान रसीद 576868 दि0 21.03.79 एवं 4688072 दि0 15.03.11 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पृष्ठ सं0 87/4 पर टीपन पाण्डेय के नाम से दर्ज था। उक्त लगान रसीद सं0 4888072 दि0 15.03.11 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी में दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

स्थल जांच के कम में श्री अर्जुन मोदी, श्री बच्चूदानन्द पाण्डेय, श्री मुरली मनोहर पाण्डेय, श्री अर्जून पाण्डेय एवं श्री सुधीर पाण्डेय से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर जमाबन्दीधारक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि का दो लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिसका लगान रसीद कटवाने हेतु आवेदन दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं0 235 के अर्न्तगत प्लॉट नं0 6310, रकवा 0.885 ए0, प्लॉट नं0 5325 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5339 रकवा 0.20 ए0, प्लॉट नं0 6329 रकवा 051 ए0, प्लॉट नं0 5317/6311 रकवा 0.475 ए0, प्लॉट नं0 5318 रकवा 0.12 ए0, प्लॉट नं0 5363 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5366/5344 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5372 रकवा 0.14 ए0, प्लॉट नं0 5328 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5398 रकवा 0.02 ए0, प्लॉट नं0 5454 रकवा 0.66 ए0, प्लॉट नं0 5455 रकवा 1.13 ए0, प्लॉट नं0 5458 रकवा 0.125 ए0, प्लॉट नं0 5461 रकवा 0.10 ए0, प्लॉट नं0 5484 रकवा 0.69 ए0, प्लॉट नं0 5529 रकवा 0.24 ए0, प्लॉट नं0 6123 रकवा 0.532 ए0, प्लॉट नं0 4851 रकवा 0.16 ए0, प्लॉट नं0 5429 रकवा 0.24 ए0, कुल रकवा 6.63 ए0 पर आवेदकगण का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 235, प्लॉट नं0 6310 वगैरह, रकवा 06.63 ए0 भूमि की जमाबन्दी जमाबंदीधारक टीपन पाण्डेय, पिता चोहन पाण्डेय, झु0 ति0 के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner